लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.64

21 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र के माध्यम से उत्पन्न रोजगार

64. श्री एच. वसंतकुमारः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वस्त्र क्षेत्र के माध्यम से उत्पन्न रोजगार के अवसरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त योजना के प्रचार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए कोई विशेष पैकेज भी प्रस्तावित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पैकेज का ब्यौरा क्या है और इससे हथकरघा बुनकरों को तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितना लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): वस्त्र उद्योग बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीण आबादी सहित प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन और संबंध क्षेत्र में अन्य 6 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के साथ देश में रोजगार सृजन के सर्वाधिक बड़े स्रोतों में से एक है।

(ख): सरकार ने रोजगार सृजन और वस्त्र क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के लिए हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा में जीविकोपार्जन के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरूआत की है:-

i. समर्थ- कौशल विकास और क्षमता निर्माण योजना

ii. निवेश को आकर्षित करने तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटफ्स)

iii. हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना और यार्न आपूर्ति योजना

iv. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना

v. विद्युतकरघा बुनकरों के लिए पावर टेक्स इंडिया

vi. सिल्क समग्र- रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना

vii. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम

viii. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना

(ग) और (घ): जी, हां। आसानी से व्यापार करने को बढ़ावा देने और क्रियाविधिक विलंब से बचने, विनिर्माण में शामिल करों/उप-करों की छूट के लिए दिनांक 31.03.2020 तक सभी शामिल राज्य और केंद्रीय करों/उप-करों में छूट देने के लिए सरकार द्वारा राज्य और केंद्रीय कर तथा उप-कर छूट योजना (आरओएससीटीएल) हाल ही में अनुमोदित की गई थी। यह मेड-अप्स और अपैरल के लिए लागू है।

इस पैकेज को अखिल भारत में क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे तमिलनाडु सहित सभी निर्यातक लाभांवित होंगे।

*****